

93998 - वह केवल विषम संख्या वाली (ताक़) रातों का एतिकाफ़ करना चाहता है

प्रश्न

क्या मेरे लिए रमज़ान में विषम संख्या वाली (यानी ताक़) रातों में एतिकाफ़ करना जायज़ है। क्योंकि मैं पूरे दस दिनों का एतिकाफ़ नहीं कर सकता। इसलिए कि मैं नवविवाहित हूँ और मेरी पत्नी मेरे घर में अकेली रह जाएगी, हालाँकि मैं अपने परिवार (माता-पिता) के बगल ही में निवास करता हूँ?

विस्तृत उत्तर

मुसलमान के लिए बेहतर यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पालन करते हुए पूरे अंतिम दस दिनों का एतिकाफ़ करे। बुखारी और मुस्लिम ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रमज़ान के अंतिम दस दिनों का एतिकाफ़ किया करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको मृत्यु दे दी।" इसे बुखारी (हदीस संख्या : 2025) और मुस्लिम (हदीस संख्या : 1171) ने रिवायत किया है।

यदि उसके लिए पूरे अंतिम दस दिनों का एतिकाफ़ करना संभव नहीं है और वह उसके कुछ दिनों या उसकी कुछ रातों तक ही सीमित रहता है, तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। क्योंकि बुखारी ने वर्णन किया है कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने मस्जिदे हराम में एक रात एतिकाफ़ करने की मन्नत मानी थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें हुक्म दिया की वह अपनी मन्नत पूरी करें। इसे बुखारी (हदीस संख्या : 2042) और मुस्लिम (हदीस संख्या : 1656) ने रिवायत किया है। इसमें इस बात का प्रमाण है कि एक रात का एतिकाफ़ सही है।

तथा प्रश्न संख्या (38037) के उत्तर में उल्लेख किया जा चुका है कि एतिकाफ़ की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है और हमने इसके बारे में शेख इब्ने बाज़ का फतवा उद्धृत किया है।

हालाँकि आदमी को चाहिए कि इन दस दिनों के दौरान इबादत में कड़ी मेहनत करे और जितना हो सके नेकी कमाने का प्रयास करे।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।